be less and less. And I hope it may be not one to ten, but one to five or one to three, as the hon. Member has said. With these words I oppose this Resolution in the form as it is.

Shri Kalika Singh: Sir, the purpose of my Resolution has been largely achieved, because the discussion that has taken place in the House has given an opportunity to the Government to reiterate its policy regarding disparities in income.

Some Hon. Members: Don't withdraw.

Shri Kalika Singh: In my Resolution, I had put in as the objective that the disparity should not be beyond 1 : 10. The Minister, in his speech, has said that he would be very glad if the disparity is reduced to 5, or 3 and even to zero. After that assurance on behalf of the Government that the aim of the Government ultimately is to have a socialist pattern of society in India in which the disparity would be reduced even to the minimum, to zero, I think it would be wrong on my part to insist that the disparity should not be below 1 : 10. On the 28th of April, 1961, when I moved the Resolution, I moved it with a view to impress upon the Planning Commission which was then formulating its policy regarding this disparity in incomes to come to some definite view about this. In the First Five Year Plan, this subject of disparity or reduction of inequality in incomes had not been touched at all. In the Second Five Year Plan, this was put in as one of the four objectives. But, in the Third Five Year Plan, which is before us, there is a full chapter about it. I am glad that the Third Five Year Plan says that the essential problem here is 'to reduce the spread between the higher and the lower incomes and to raise the level of the minimum. I also said that my aim is not so much to put a ceiling on incomes, because there are only 1847 persons in the whole of India who have an income of over Rs. 50,000, but my aim is to impress on the Government that they should look to the foundational structure of the socialist society, the great labour force. I think the labour force in India must be about 20 crores; it is about 45 per cent or 50 per cent or nearabout that. When we have got such a large labour force, we have to look to the foundational structure, that is we should look to the floor rather than to the ceiling. We should fix a proper floor and try to raise the income of the masses, and that should be the aim of the Government also. There are opposition parties here in India. They just try to propagate that we should aim at the ceiling only and bring somebody down. But, they would not look to the foundational structure of the masses as a whole. Now, the Minister has said that he is also more emphatic about the foundational structure, about raising the level of the income from below. With that assurance, I think it would not be quite proper to insist upon passing thih Resolution that the gap should be 1 : 10, because the spirit of the Resolution has been understood by the Government and the Government has also laid down a policy about it. Therefore, I beg leave of the House to withdraw my Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION *RE*: BAN ON EMPLOYMENT OF RETIRED GOVERNMENT SERVANTS

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : सभापति महोदय, मैं जिस संकल्प या प्रस्ताव को सदन में उपस्थित कर रहा हूं वह बिल्कुल ही निर्दोष और पवित्र है । संकल्प की भाषा इस प्रकार है :—

> "इस सभा की राय है कि सरकार को सेवा से मुक्त या निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी या सेवा में

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

पुनः लगाये जाने या प्रवेश पर शीघ्र से शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने के लिए उपयुक्त विधान पेश करना चाहिए ।"

मैंने जो यह संकल्प इस सदन में उपस्थित किया है मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस संकल्प से किसी को भी कोई विरोध नहीं होगा । इस सदन का चाहे कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति क्यों न हो सभी को एक मत होगा, सभी की एक राय होगी और सभी लोग आज इस मुल्क से बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं । सभी लोग इस मुल्क को गरीबी से ऊपर लाना चाहते हैं । अगर मुल्क को गरीबी से ऊपर उठाना है तो फिर बेरोजगारों को काम देना होगा । ऐसे लोग जो लाखों की संख्या में बेरोजगार पड़े हुए हैं, ऐसे युवक जो कहीं पर धंधा नहीं पा रहे हैं उनको यहां हम को धंधा देना है तो उस के वास्ते हर हालत में हमें इस संकल्प को स्वीकार करना पड़ेगा और ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद, पेंशन और ग्रैचुएटी मिलने के बाद या अपनी सेवा अवधि पूरी करने के पश्चात्, पुनः किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कम्पनी या फर्म आदि में नौकरी करें, या तो उन पर यह प्रतिबन्ध होना ही चाहिए कि उनको किसी भी सरकारी या गैर सरकारी किसी भी कम्पनी या फर्म में कोई काम नहीं मिलना चाहिए ।

मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, न ही मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत है । यहां पर तो चर्चा कुछ सिद्धान्तों की और वर्तमान सरकार की नीतियों की है । अगर व्यक्ति विशेष इससे कुछ अपने मन में समझें कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये यह चर्चा है तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उनका यह सोचना बिलकुल ही गलत होगा ।

कुछ लोग यह प्रश्न करेंगे कि वह सरकारी लोग जिन्होंने योग्यता हासिल की है, जिन्होंने काम सीखा है तो उनके अन्दर जो योग्यता है उसका उनके रिटायर होने के बाद फायदा क्यों न उठाया जाय ? यह सवाल अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है लेकिन फायदा उठाने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि उनको फिर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर बिठलाया जाय जिस स्थान पर कि कोई दूसरा आदमी पहुंच करके कुछ रोजी पा सकता था । मेरा कहना यह है कि उन्होंने अपनी ५५ वर्ष की आयु में जो कुछ भी सीखा वह उन्होंने हिन्दुस्तान के लिए सीखा और सीखने के बाद जब वह रिटायर होते हैं तो उनका यह धर्म और नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पैंशन काल में कुछ देश के लिए अवैतनिक कार्य भी करें । जो उनमें योग्यता है वह योग्यता अपने आप नहीं आ गई है । वह योग्यता उन्होंने तब हासिल की जब राष्ट्र ने उनको अपने किसी पद पर बिठाया और बाहर के स्थानों पर भी कुछ वजीफा देकर भेजा । कुछ ऊंचे पदों पर जब उनको भेजा गया तब उनमें यह योग्यता आई और जब राष्ट्र के अन्दर ऐसे लाखों लोग बेकार हैं तो फिर उनको भी यह कर्तव्य हो जाता है कि राष्ट्र के इस बड़े काम में वह भी अपना योगदान प्रदान करें । उनको काम न देने के और भी अनेक कारण हैं । एक कारण यह भी है कि सरकारी अफसरों को ऊंचे ओहदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपने कार्य काल में बहुत से ऐसे काम दूसरी कम्पनियों से कराने पड़ते हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है, उनको ठेका देना पड़ता है और दूसरा कारण यह भी है कि जनतंत्र में केवल शासन और उसके कर्मचारियों को केवल ईमानदार होना ही जरूरी नहीं है बल्कि साथ ही साथ में उनको यह भी साबित करने की जरूरत पड़ती है कि वह बिल्कुल ईमानदार हैं जिससे

कि देश की देश की जनता की निष्ठा उस राष्ट्र में और राष्ट्र के कर्मचारियों में जमे । लेकिन अगर इस कसौटी पर जब हम अपने इस विचार को कसते हैं तो हमको इससे बहुत बड़ी निराशा होती है और हम कुछ अपने काम को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं ।

आज हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं और वह भी शायद यह समझते होंगे कि सरकारी दफ्तरों की फाइलें हमारे पास दफ्तरों में सुरक्षित हैं लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं कि वह लोग जो ऊंचे ओहदों पर काम करने के बाद विभिन्न कम्पनियों में जा करके या विभिन्न उद्योगपतियों के यहां जाकर काम करते हैं वे उन सरकारी दफ्तरों की फाइलों की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी आत्मा उन उद्योगपतियों के भवनों में जाकर कैद होती है जहां कि वह बैठते हैं और सरकारी दफ्तरों में पीछे केवल मृत फाइलें पड़ी रहती हैं ।

इस तथ्य को समझने के लिये यह देखना होगा कि कुछ उच्च अफ़सर सरकारी सेवा से निवृत होने के बाद कहां गये हैं उन्होंने कहां सर्विस प्राप्त की है । चूंकि, सभी समाचार पत्रों में उनके नाम निकल चुके हैं, इसलिये इस सदन में उनका नाम लेना अवैधानिक या अनुचित नहीं है । १९५८–५९ में इस विषय पर काफ़ी वाद-विवाद हो चुका है ।

17 hrs.

मुझे यहां पर उन लोगों के नाम नहीं लेने हैं जिन की चर्चा हो चुकी है । मुझे यहां पर उन लोगों के नाम भी नहीं लेने है, जो विवाद के विषय बने हुए हैं । हां, अलवता ऐसे लोगों के सम्बन्ध में देश के अनेक अखबारों में चर्चा हुई है और उनके नाम दिये गये हैं । अगर हम उन लोगों के मामलों पर विचार करें, तो पता लगता है कि जब तक वे सरकारी सर्विस में रहे, उनकी एक आंख सरकारी काम पर थी और दूसरी आंख उन पूंजीपतयों के दफ्तरों पर लगी हुई थी, जहां रिटायरमेंट के बाद उनको सर्विस प्राप्त करनी थी । उनका मन भी बंटा हुआ था—उनका आधा मन अपने काम में था और आधा मन रिटायरमेंट के बाद काम ढूंढने में लगा हुआ था ।

१९५४ में एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ ४१ में सुझाव दिया था कि सेवा से निवृत्त अधिकारियों को निजी कम्पनियों या फर्मों में लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । उस सुझाव के बावजूद भी मैं देखता हूं कि आज भी उन लोगों के लिये वह रास्ता खुला हुआ है और इस प्रकार योग्यता और काबिलियत का सारे का सारा स्रोत उसी दिशा में जा रहा है, जो मुल्क को बनाने की दिशा नहीं है, जो मुल्क को बिगाड़ने की दिशा है । रिटायर्ड कर्मचारियों के प्राइवेट नौकरियों में प्रवेश पर इसलिये भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये कि राष्ट्र के शासन की गोपनीयता स्थापित रहे और जो जरूरी कागज हैं, वे दूसरे लोगों तक न पहुंच सकें । मैं यहां पर कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं, जिन के नाम देश के अनेक अखबारों में आ चुके हैं ।

(१) श्री सी० सी० देसाई—वह भारतवर्ष में अनेकों उच्च पदों पर काम करने के बाद पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे । आजकल वह दिल्ली में बिड़ला के सलाहकार हैं ।

मैं केवल उन्हीं लोगों के नाम लेना चाहता हूं, जो सारे के सारे रिटायर होने के बाद दिल्ली मे बैठे हुए हैं । यद्यपि पूंजीपतियों के कोई बहुत बड़े कारखाने दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन उन उच्च अफसरों को इसलिये यहां पर रखा जाता है कि वे यहां पर रह कर भारत सरकार के उच्च अधिकारियों, मिनिस्टरों और दूसरे कर्मचारियों से सम्पर्क रखें । यह एक तथ्य है कि जब

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

कोई भी अधिकारी रिटायर होने के बाद कहीं जाता है, तो उस समय भी उसके अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी उस के इनफ्लुएन्स और प्रभाव में रहते हैं । अगर मुझे पूछा जाये, तो मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि हालांकि किसी प्राइवेट कम्पनी में काम करने वाले रिटायरशुदा सरकारी कर्मचारी को कोई जानकारी हासिल करने के लिये सम्बन्धित दफ्तर में जाना चाहिये, लेकिन ऐसा न करके उस ने टेलीफोन पर अपने अधीनस्थ सरकारी कमचारी को, अपने डिप्टी को, बुला कर दफ्तर की सारी फाइलें अपने यहां मंगाई और उनकी कापी टाइप कराई, उनकी नक़ल कराई और उसके बाद वे फाइलें फिर दफ्तर में भेज दी गई ।

(२) सरदार दलीप सिंह—वह पहले दिल्ली में इनकम टैक्स आफिसर और बाद में सेल्ज़ टैक्स आफ़िसर और अन्त में इंडस्ट्रियल फ़िनांस कार्पोरेशन के आफ़िसर रहे हैं ।

Shri Datar: Is it necessary to mention the names? He can use the argument without mentioning the names. It may be unfair to those persons also. We do not know the circumstances in which they have accepted this employment in the private sector. So, I fully appreciate the hon. Member's desire to develop his argument that certain officers after retirement accept service in the private sector. That argument is perfectly understandable, but I would implore him not to bring in the names.

Shri Tangamani (Madurai): But instances will have to be given of people in high places who immediately after retirement go to private employment.

Mr. Chairman: There is one other aspect involved in it. The hon. Member was not only mentioning names, but along with that, though he was not stating that such and such an officer took the file and copied it and all that, he was making the reference in such a way that it would give that impression. Therefore, if such a serious allegation is to be made against anybody who is not present in the House, or on whose behalf the Minister is not in a position to reply, the practice is not to mention the names. Therefore, if allegations are to be made, then the names in that context may not be mentioned. However, the hon. Member can proceed with giving the posts, and if he states mere facts, it would be all right. I do not think there would be any particular objection in mentioning a name or two, but along with the names he should not bring in any allegations, unless he can substantiate them.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैंने यहां पर सिर्फ इतना ही कहा है कि ऐसे बहुत से उच्च अफ़सर हैं, जो रिटायर होने के बाद किसी प्राइवेट कम्पनी में सर्विस करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी दफ्तरों की फाइलें अपने यहां मंगा कर उनकी नक़ल करवाते हैं । मैंने किसी व्यक्ति या अधिकारी का नाम नहीं लिया है । मैंने नाम तो केवल उन लोगों के लिये हैं, जो रिटायर होने के बाद प्राइवेट कम्पनियों में काम कर रहे हैं । उनके नाम लेना इरेलिवेंट नहीं है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पहले एक सज्जन का जिक्र किया और उसके बाद दूसरे सज्जन का जिक्र किया और दोनों के बीच में यह कहा कि घर पर फाइलें मंगा कर उनकी नक़ल की जाती है । उससे ग़लतफ़हमी हो सकती है । यह ठीक है कि माननीय सदस्य का यह मंशा नहीं था, लेकिन ग़लतफ़हमी हो सकती है कि घर पर फ़ाइलें मंगा कर नक़ल करने का सम्बन्ध उन व्यक्तियों से है, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैंने शरू

में ही अपनी बात कही कि मैं यहां पर किसी व्यक्ति-विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं और न ही यह मेरे संकल्प का मंशा है। मेरे संकल्प का मंशा सिर्फ यह है कि जो लोग सरकारी सेवा से मुक्त होकर बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाने के बाद सरकारी वेतन से अधिक दिया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि उनका मन सरकारी काम में नहीं लगता है और रिटायर होने के बाद वे अपने पुराने दफ्तर के माध्यम से नाजायज़ लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और उसकी रोक-थाम की जानी चाहिए।

मैं यहां पर उन्हीं लोगों का नाम लेना मुनासिब समझता हूं, जिनका हेडक्वार्टर रिटायर होने के बाद दिल्ली में है और जो दिल्ली में रह कर अपनी कम्पनियों और फ़र्म्ज़ के लिये काम करते हैं।

इसके बाद बग़ैर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाते हुए मैं ऐसे दूसरे लोगों के नाम बताना चाहता हूं।

श्री हरवंश लाल—वह पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स के डाइरेक्टर-जेनरल रहे हैं और रिटायर होने के बाद अब ब्लैकवुड हाज की फर्म में डाइरेक्टर हैं।

लेफ्टिनेंट जेनरल थापर—रिटायर होने के बाद वह ईस्ट एशियाटिक कम्पनी के डायरेक्टर हैं और आजकल दिल्ली में ही रह रहे हैं।

श्री एन० आर० पिल्ले—वह विदेश विभाग के सेक्रेटरी थे और अब इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के डायरेक्टर हैं और आजकल उनका हैडक्वार्टर दिल्ली में है।

डा० कटियाल—वह पहले श्रम विभाग में थे और रिटायर होने के बाद आज-कल दिल्ली में इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी में डायरेक्टर हैं।

श्री हरिदत्त मलिक—वह भारत में अनेक पदों पर रहने के बाद फ्रांस और कैनेडा में भारतीय राजदूत के पद पर रहे और आजकर इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी, दिल्ली में डायरेक्टर हैं।

श्री एम० सी० वद्धवार—वह चेयरमैन, रेलवे बोर्ड रहे हैं और रिटायर होने के बाद दिल्ली में बर्ड एंड कम्पनी के डायरेक्टर हैं।

श्री टी० पी० भल्ला—वह डायरेक्टर जेनरल आफ सिविल एवियेशन रहे हैं और रिटायर होने के बाद आज साहू-जैन एंड कम्पनी में डायरेक्टर हैं।

श्री एम० के० कौल—वह उत्तरी रेलवे में जेनरल-मैनेजर रहे हैं। रेल विभाग में उनकी क्या ख्याति थी, यह किसी से छिपा नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ मझे कहना नहीं है। वह भी एक कम्पनी के डायरेक्टर हैं और वहां पर उन को क्या मिलता है इसी से उन की योग्यता को आंका जा सकता है। श्री के०बी० माथुर, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, आज कल हैवी इलैक्ट्रिकल प्रोजैक्ट भोपाल में हैं। श्री सारंगपानी भारतीय रेलवे में उच्च अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद वह हैवी इलैक्ट्रिकल प्रोजैक्ट, भोपाल में मैनेजिंग डायरेक्टर हो कर चले गये हैं। इस समय वह क्या पाते हैं और पहले क्या पाते थे, इस का भी आप को पता लगाना चाहिये। श्री नागेश आज-कल स्टील प्रोजैक्ट में हैं। ऐसे कई दर्जन नाम हैं जिन को मैं यहां पर कोट करना उचित नहीं समझता हूं।

मेरा जो खास मंशा कहने का है वह यह है कि ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद फर्मों और कम्पनियों में चले जाते हैं, और उन्हों ने दिल्ली में ही अपने दफ्तर बनाये हुए हैं, क्यों उन्हों ने यहां अपने दफ्तर बनाये हुए हैं, इस के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ है। अगर इस सवाल को आप को हल करना है तो फिर आप को इस संकल्प को

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

स्वीकार कर लेना होगा । आज मुल्क के वे नौजवान जिन के अन्दर काम करने की क्षमता है, योग्यता है, जो अवसर मिलने पर अच्छे और योग्य अफसर और अधिकारी साबित हो सकते हैं, उन के रास्ते हैं बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है क्योंकि इन तमाम स्थानों को ऐसे लोग घेर लेते हैं जिस की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं । मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उन को रिटायर होने के बाद नौकरी इस तरह की करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये । यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को सरकार जो बहुत सी जो कमेटियां बनाती हैं या सब-कमेटियां बनाती है, उन में रख लिया करती हैं । मैं समझता हूं कि यह भी उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है कि उन को इस तरह की कमेटियों में रख कर उन के प्रोत्साहन दिया जाये ।

मैं देश के उद्योगपतियों और फर्मों तथा कम्पनियों की तरक्की में रुकावट नहीं डालना चाहता । मैं चाहता हूं कि उन की तरक्की हो । मैं चाहता हूं कि वे अपने आदमियों को खुद ढूंढें लेकिन ऐसे लोगों को जो भारत सरकार की सेवाओं में रह चुकने के बाद रिटायर होते हैं उन से अगर जरूरी हो तो कोई और काम लिया जाय मगर ऐसा काम न लिया जाय कि काम तो वे आनरेरी करते हों और बंगले उन को मुफ्त मिले हों सरकार की तरफ से और उन को भारत सेवक समाज का अध्यक्ष भी बना दिया जाता हो और उस मुफ्त के बंगले में किसी कम्पनी के दफ्तर चलते हों और उस कम्पनी की बुनियाद वहां पर पड़ती हो । इस पर भी सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को सदन के सामने पेश करता हूं ।

Mr. Chairman: Resolution moved:

"This House is of opinion that Government should bring forward suitable legislation to debar retired Government employees from being re-employed in any Government or private service."

Now, there are about 7-8 hon. Members who want to take part. How much will the hon. Minister take?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): About 25 minutes.

Mr. Chairman: Then I will have to curtail the number of speakers.

Each hon. Member may take only ten minutes.

Shri Datar: We finish the debate today?

Mr. Chairman: I think we may finish it. The time allotted is one hour and fifteen minutes.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The time should be extended.

Mr. Chairman: Let us see how it develops. Now, Dr. Menon.

Dr. K. B. Menon (Badagara): Mr. Chairman, I wish to throw in a few thoughts in a discussion on the Resolution before us. The Resolution deals with the re-employment of retired persons both by the Government and also by private concerns. The first aspect of it is relatively more simple. Government has an accepted policy on the subject and has fixed the age of retirement and the bulk of the employees retire at the age of 55. In recent years Government has extended the age to 60 and 63 in certain departments like science and education, judiciary, and higher civil service and also in political appointments abroad. In certain cases where the Government find it difficult, they give extension, but that extension I believe is given only in rare and exceptional cases and that only for a limited

period of time. Therefore, as far as re-employment of retired Government servants by the Government itself, either at the Centre or in the States is concerned, it is not to my mind a very serious one.

The second aspect of the question is re-employment by private concerns. This problem was not there in pre-Independent India, for the reason that the superior appointments in government service were almost exclusively manned by the Englishment and also by the fact that the private industries had not developed very much in those days. This problem is there today and as India industrialises, this problem will be of growing interest and importance. The Government today is the largest employer, and occupies a dominant position in the employment market. With our growing industrialisation, we are developing a competitive market and the Government is likely to be pushed away from the dominant position which is today almost dictatorial. The Government is likely to lose that postion. It is good in one way. It brings also certain rather difficult problems for the Government itself. When the competitive market comes, and when the private concerns offer better salaries, certainly a position will arise where the best intelligence of the country will be drafted by the private sector as is happening today in a country like the United States. That problem is still far in the future and may not concern us immediately. But as the competitive market develops, this problem also develops. As far as business is concerned, they have only one motive, and that is profit. As long as business is guided by that profit motive exclusively, the business firms are not very much concerned with the morality of the means they adopt in securing or recruiting the services of employees. They try to recruit or to angle for Government officials occupying eminent positions, positions of responsibility in Government, because they stand to gain something by it.

A very interesting list was given by the Mover of the resolution, and it is not necessary to add to it. It is evident from that that private business and private enterprise offer four-digit salaries free of income-tax, houses free of rent, cars free of payment and very many amenities which the Government itself does not offer to these men who occupied high positions in superior service. There must be a reason. There is a reason why the private firms offer these temptations, these high salaries and other amenities. They do it because these retired persons in the superior service are in possession of valuable information and they have also valuable contacts. It is to exploit this valuable information and valuable contacts that the private concerns angle for the services of these men. It is, I am afraid, rather corrupting both for the temptor as well as for the tempted.

Apart from this, there is another aspect to this problem. We are all interested in our future and Government officials are no exceptions to this rule. They will try to make it safe for their future. As soon as Government officials occupying eminent positions near the age of retirement, it will not be surprising if they flirt with these big business houses by giving them favours in order to secure favour for themselves. That again is likely to create problems for the Government.

These are problems which the Government must be conscious of. How to tackle it is a very difficult question. It is not possible for the Government to control retired officers once they are out on pension nor is it possible for the Government to introduce restrictions when they recruit their services limiting their choice after retirement. So, tackling this problem from the end of the Government employee is rather difficult according to me. The only way of approach that I can think of is to tackle the problem at the end of the business enterprise. If the Government is prepared to make business houses know that the Government will not look with favour or rather Government will

[Dr. K. B. Menon]

look with disfavour entertainment services of retired personnel, I feel that business houses will think twice before they take the risk of recruiting these men in their services. This is the only way of approach where a solution to the problem can be found as I see it. It is also necessary to find a solution to the problem, for, as I said, it corrupts both the temptor and the tempted It is for the Government to find a way out.

Shri Ramesh Prasad (Aurangabad): Sir, I thank you for giving me an opportunity to express my views on the resolution brought by my friend Shri Bhaudauria to debar retired Government employees from being re-employed in any Government or private undertaking. I oppose this resolution on the ground that it cannot be accepted in principle.

Our country is still very poor and very backward educationally and scientifically and we require to develop ourselves in all fields. If we consider the position in which we are today and compare it with other advanced countries of the world, we find that we have to traverse a long way to compete with other civilised countries of the world. In the fields of science and technology, we have not only to produce local men and prepare engineers and technicians here, but in order to cope with the great demand for scientists and engineers, we have to bring them from foreign countries also.

Therefore, if we accept this resolution, we will thereby be debarring a number of elderly persons—they may be more than 60 or even 65 years of age who will be very useful to us in running our undertakings which the younger persons may not be able to do. If we accept this resolution, we will not be able to have the valuable services of those experts who though old in age, can render very valuable service to this country and to our national government. That being so, if we accept this resolution we will be doing a great deal of harm to ourselves and to our infant State.

Without going into the personal element brought in by the Mover of the resolution by naming a number of persons, I can only say that his resolution should not be accepted by this House and it must be rejected.

श्री सरजू पांडे : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मुख्य रूप से दो कारणों से मैं इस का समर्थन करना चाहता हूं । पहला कारण यह है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद फिर काम पर लग जाने का लालच रहेगा तो उन की स्वतन्त्रता खत्म हो जायेगी । हमारे देश में जितने रिटायर्ड जजेज हैं उन को वाईस चांसलर बनाया गया है । और हमारे प्रान्त के चीफ मिनिस्टर ने तो यह नियम ही बना दिया है कि रिटायर्ड जजों को वाइस चांसलर बनाया जायेगा । अगर जजों को यह खयाल होगा कि उन को रिटायर होने के बाद फिर वही आराम और सुविधायें मिल जायेंगी तो उन की स्वतन्त्रता कम हो जायेगी । इस प्रकार के कार्य करना देश के हित में नहीं है, और जब ऐसी स्थिति है तो हम उन से सही मानों में स्वतन्त्रता की आशा कैसे कर सकते हैं । हमारा यह उसूल है कि हमारी अदालतें स्वतन्त्र होनी चाहियें । अगर आप कहिये कि ऐसे लोगों के नाम गिना दो जिन को रिटायर होने के बाद दूसरे पदों पर रखा गया तो मैं नाम गिना सकता हूं, पर उस से कोई लाभ नहीं होगा । यह बात सरकार के नोटिस में है कि उन लोगों को इस तरह का लालच है इसलिये उन की स्वतन्त्रता गायब होती जाती है ।

मुझे मालूम है कि एक बड़े इनकम टैक्स आफिसर ने रिटायर होने के बाद एक प्राइवेट

कम्पनी में काम कर लिया । अब लाजिमी तौर से वह उस कम्पनी को इनकम टैक्स से बचने के उपाय बतलायेंगे और सरकार की गलतियों से फायदा उठाने का रास्ता दिखायेंगे । अब यह तो उन का काम हो गया ।

अभी हमारे साथी अर्जुन सिंह भदौरिया ने बीसों नाम पेश किये । मैं भी दस बीस नाम दे सकता हूं । लेकिन उन नामों के देने से क्या लाभ । सरकार को मालूम है कि यह हो रहा है । इस लिये सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद फिर काम पर न लगें ।

अभी थोड़ी देर पहले यहां कहा गया था कि अगर हम सरकारी अफसरों को ज्यादा वेतन नहीं देंगे तो उन को प्राइवेट कम्पनीज ज्यादा वेतन दे कर अपने यहां ले सकती हैं । यह बात हम जानते हैं कि सरकारी अफसरों को ज्यादा चार्म आजकल प्राइवेट कम्पनीज में हैं क्योंकि उन को ज्यादा मुनाफा होता है । अगर सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद प्राइवेट कम्पनियों में जायेंगे तो वे उन कम्पनियों का लाभ पहुंचाने और सरकारी गलतियों से फायदा उठाने की तरकीबें बतलायेंगे और इस से बड़े सरकारी कर्मचारियों का पतन होगा । इसलिये सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होने पर फिर किसी प्राइवेट कम्पनी में या सरकारी काम पर न लिये जायें ।

यहां पर श्री एन० आर० पिल्ले का नाम आया कि वह पहले एक्सटरनल एफेयर्स विभाग में थे और रिटायर हो कर प्राइवेट कम्पनी में चले गये । इसी तरह से जस्टिस महाजन का नाम लिया जा सकता है । इसी तरह से नवाब अली यावर जंग बहादुर का नाम पेश किया जा सकता है । इसी तरह के और नाम भी दिये जा सकते हैं । लेकिन मैं इस समय कोई बड़ा लैक्चर देने की जरूरत नहीं समझता । मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रश्न पर गौर करना चाहिये । हम को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है । जो बड़े बड़े अफसर रिटायर होते हैं उन पर इस प्रकार का नियंत्रण अवश्य लगाना चाहिये । अगर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जायेगा तो वे लालच में पड़ सकते हैं । मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि वे इस प्रकार लालच में पड़े या नहीं, लेकिन जब वे कम्पनियों की सरविस में जायेंगे तो उन को कम्पनियों के बीसियों काम करने होंगे और कम्पनियों को बचाना होगा और उन को कानूनी गलतियों का लाभ उठाने का रास्ता बताया जायेगा । इसलिये इस के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बातों को मानेगी । मुल्क में जो आने वाला खतरा है उस से हमारी स्वतन्त्रता को बाधा उत्पन्न होगी । आज समय का तकाजा है कि हम उन प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में न खेलें और हम इस किस्म का कानून बनायें ताकि हमारे अफसर और कर्मचारी रिटायर्ड होकर दूसरी प्राइवेट कम्पनियों में काम न कर सकें । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

Shri Narasimhan (Krishnagiri): Mr. Chairman; I rise to oppose this Resolution. Of course, I do not question the motive of the hon. Member who has brought in this Resolution. There are, no doubt difficulties and we do see odd cases of big officers after retirement going and getting employed in big companies under objectionable, doubtful or colourable circumstances. But the remedy suggested in the Resolution, as it stands, is not practicable. Its coverage is far too wide and wholesale and so it is not practicable. It seeks to ban entirely the employment of retired Government employees, which is not practicable.

Take for example, the army. The army officials generally retire at a fairly early age. Because, they do not want old people in the active force, many officers are made to retire early.

[Shri Narasimhan]

So, even when they go out, they are quite energetic and they do not even look old because of the training they had in the army, psychological and physical. They are fit for service for quite a number of years. In our country, we do need their services for further employment, be it in the private or public sector. For example, in the normal course, without there being any colourable circumstances, a retired army officer may be immediately appointed in the watch and ward section of a big company. That company might have big stores worth Rs. 5 crores or 10 crores, they might have patrols and they might need a sergeant to be in charge of the patrols. Naturally, that company will appoint an efficient and intelligent retired army officer. There is no motive behind it and we cannot suspect him. So, we cannot say that every retired officer who gets a very legitimate appointment in some company after retirement should be prevented from getting it. Therefore, the wholesale application of this ban on employment of retired officers will do more harm than good.

It we find that the officers are corrupt and they are using their present position for future advantage, against the national interest, we have to meet the situation by raising the morale standards of the officials. That is a long-range remedy. In any case, experienced retired officials cannot be prevented from serving the community in one form or another.

In the olden days, particularly during the pre-independence days, one of the main placards of the Indian National Congress was the Indianisation of the services. The experience of Europen officers went with them when they retired and left the country. That was one of the main reasons for the agitation for Indianisation of services. That should not be forgotten.

Then, retired people like engineers, even though they may be old, can serve the community. Eminent men like Einstein have served the country more till the last moment of their life in fields like science.

It is true that there may be a number of instances, likely to be colourable, or thought to be colourable or sought to be colourable. In the same way, I can quote other instances where their services have been utilised in the national interest. Therefore, I am of the opinion that the Resolution, as it is worded, is difficult of implementation. Of course, I agree with the sentiments expressed by the hon. Member, when he made his speech. All the same, I would request him not to press a motion of this type. At the same time, I would urge on the Government to take such steps as may be possible as not to allow objectionable transactions to take place. They can even put temporary restrictions on retired officers for the first two or three years against re-employment. They can go to that extent. But if they go beyond that, it will bring its own bad effects.

Shri S. M. Banerjee: Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Resolution moved by my hon. friend, Shri Arjun Singh Bhadauria. We remember when the Pay Commission recommended that the age of superannuation be raised from 55 to 58 years Government objected to it and turned down the recommendation of the Pay Commission only on the ground that they wanted new blood to come up and that the old people should make room for the young people. Had that recommendation been accepted, this question would not have arisen that retired people should not take up appointment in other establishments either in the private sector or in the public sector. I want to know from the hon. Minister as to why that particular recommendation of the Pay Commission was turned down when the Government of India or the State Governments had no objection to permit their own employees to take up employment after ertirement in another public sector project, whether

it is a steel plant or a heavy electricals plant or a heavy engineering corporation or any other corporation. Why should they not allow the same employees, whether they are in Class I or Class II, or in Class III or Class IV, to continue up to the age of 58 years? So, the entire idea on which the unanimous recommendation of the Pay Commission was turned down by Government is defeated if it is allowed that after retirement Government servants can take up employment elsewhere.

The question is generally raised that after all the country should be benefited by their vast experience and efficiency. If this is correct, should we say that efficiency is the monopoly only of certain big officers, that efficiency is confined only to Class I employees and that it is not there in Class III and Class IV employees? After visiting so many public sector projects I have a feeling that all those retired persons who have taken up the posts of managing directors and chairmen or other responsible posts are unfortunately functioning like a group of pensioners. I say this without imputing any motive to them. I hope that Government will take a decision that such officers, who after retirement draw a provident fund of Rs. 75,000/- or Rs. 80,000/-, in certain cases it is more than Rs. 1 lakh, who are drawing a pension of about Rs. 500/- plus some gratuity, shall not be permitted to have another Rs. 4,000/- per month in any project.

I do not want to mention names. My hon. friend, Shri Bhadauria, has mentioned so many names. It is no use mentioning names. But I can quote an instance. The Tata Iron and Steel Company, because they wanted to derive some benefit from the Bihar Government took the services of one Shri * *, who was working in the Labour Department or in the Chief Minister's Department, on loan. Ultimately they forced the Bihar Government to see that Shri * * becomes a permanent employee of TISCO. How is it that even when he was in employment—he was Secretary of some Department, most probably the Labour Department—his services were taken on loan?

Mr. Chairman: Earlier I had ruled that names are permitted to be mentioned only when no accusation is made. An accusation is being made...

Shri S. M. Banerjee: Not against him. I am accusing the Tatas.

Mr. Chairman: I have heard the hon. Member saying "to get the benefit of his position" etc. In this case the name may be deleted from the proceedings. The Press will also take note of this. If the hon. Member does not want to make any accusation, mere mention of the name may be allowed. But if he wants to refer to certain things and insinuate, name may not be mentioned and only the post may be mentioned.

Shri Narasimhan: I may submit that two names are mentioned, those who employ and those who get employed. It is unfair to both of them.

Shri Datar: And the Bihar Government.

Shri Narasimhan: And also the Bihar Government.

Shri S. M. Banerjee: I have mentioned the name, but I have no bitterness against him. I have not even seen his face.

Shri Narasimhan: He is mentioning another well-known firm saying that it is using him for its purpose and so on.

Shri S. M. Banerjee: Tata Company is well known as an employer. It is well known as a most mischievous employer also. Some people say that. What can I do? Recently I have been convicted with simple imprisonment for six months and a fine of Rs. 500 in Jamshedpur, and Tatas initiated the whole thing.

**Expunged as ordered by the Chair.

[Shri S. M. Banerjee]

I say that the services of senior government officials working in different States should not be taken as loan; it is no question of retirement only.

I will mention another case. The gentleman who was previously working as Controller General of Defence Production—I do not know under what circumstances he was forced to resign —but the moment he resigned he has joined a big concern in Rourkela. I will not mention the name.

But these facts have to be examined. And whether the facts that have been brought before the House should receive the careful and personal attention of the hon. Minister or not is a matter for this House to decide. Otherwise it is of no use. We do not mention the names just to slander some people. After all, what harm have they done to us? They have not done us any harm.

When we consider the unanimous recommendation of the Pay Commission and how the Government turned it down, and how at the same time they go on permitting their own employees, even after retirement and after giving them pensionary benefits, provident fund and gratuity, to take up appointments where they are paid the same salary and in certain places more than what they were drawing previously, naturally the question arises whether this should be permitted or not. I know that when a class IV employee, a peon, attains the age of fifty-five he is not given any extension. He has simply to starve. Because, what is the pensionary benefit that he receives? Hardly fifteen rupees or twenty rupees. He cannot maintain himself with that. And he gets a meagre amount of provident fund, hardly one thousand rupees. What can he do with this when the cost of living is going up? If we demand that he should at least be re-employed somewhere, we are told that he is an unskilled man and that he cannot be re-employed. If the Government is sincerely moving, or is said to be moving, towards socialism it must decide something about this.

In this connection I would also request the hon. Minister to tell us with respect to these government servants, who were Railway Board Members or others drawing more than a salary of one thousand rupees, and who have taken up appointments either in the private sector or in the public sector projects, what salary they are drawing at present, so that we may know whether they have been benefited by this employment or whether it is because their national sentiments have been roused to that extent to save the country from devastation that they are making available their efficiency to those particular concerns.

With these words I support the resolution. I wish that this House takes a note of this resolution, and I would request the hon. the Mover of the Resolution to press for a division so that we may know where we are.

Dr. Melkote (Raichur): I oppose the resolution in the shape in which it has been brought forward before this House. The reasons are obvious. It mentions every government servent. Take the class of teachers, for instance, the whole group of them, from the primary classes up to the college classes. If they are not to be re-employed, in the present condition of our country when we are trying to improve the standard of education and spread it out, would it be worth while? And what is the harm they are going to do to the community as such? The Resolution looks innoccuous, but it is so sweeping that it affects the economy any well being of the country itself. That is why I try to oppose this, in the first instance.

It cannot be denied that the people feel that in a few instances, advantage has been taken by some persons in government service to get out and get themselves employed in lucrative business outside as soon as they retire. So far as I am aware, Government

has framed rules already with regard to that. I believe that all Class I officers, irrespective of their denomination, have to obtain the permission of the Government if they have got to be re-employed employed within a period of two years. There are innumerable persons pensioned out year after year. It is not in the case of every one that the Government has given such permission. Permission is denied to a large number of people. It is only to just a few who are absolutely needed, where the Government feels that the necessity is there, that the Government gives permission. Even so, I would like to bring before the House that possible abuses of this privilege have been present and it is only to that extent that remedial measures have got to be seen and not otherwise. I personally feel that instead of two years, in the case of government servants at the level of Secretary and Joint Secretary, if it should be raised to a period of five years before which they cannot take any appointment, much of the present abuse will be remedied. Anything lower than that would harm the interests of the country as such. I do not know whether this will be welcome to the Government. Even so, I am trying to make an amendment which could be acceptable, provided all remedial measures are taken.

Apart from these things, there have been in government service technical personnel, engineers and others whose services outside may be taken up. This Resolution says, no private employment, not even in the private sector. All these people are useful to society one way or the other. The knowledge that they possess cannot be taken advantage of by the Government or anybody else except the private sector man, for the benefit of society. This Resolution condemns the whole lot of government servants as bad and secondly, in order to remedy a very small defect, an amendment is made wholesale. It would not be correct to pass the Resolution. Therefore, I oppose it in the form in which it is presented to the House.

Mr. Chairman: Shri Ram Sewak Yadav.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): The parity was two to the right and one to the left.

Mr. Chairman: There is no question of parity or anything.

Shri Raghunath Singh: That was the system.

Mr. Chairman: The hon. Member will get the next chance.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव श्री भदौरिया ने रखा है,मैं उस का समर्थन करता हूं। अभी हमारे एक बजुर्ग सदस्य ने उस का विरोध किया । अब शायद कुछ ऐसा है कि हम लोगों की आदत पड़ गई है समर्थन करने की और माननीय सदस्य ने हर चीज का विरोध करने का फैसला किया है । अगर ऐसा है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है । उन्हों ने यह दलील दी है कि जो सरकारी नौकर रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं, तो बिना सरकार की आज्ञा लिये हुए नहीं जा सकते और सरकार ने सब को आज्ञा नहीं दी है, उस ने विशेष परिस्थितियों में ही आज्ञा दी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के नाम अभी माननीय सदस्य ने सुनाये थे, वे साधारण सरकारी नौकर नहीं थे । इस के अतिरिक्त यह भी प्रश्न विचारणीय है कि कौन सी स्थिति ऐसी हो सकती है, जिस में उन को आज्ञ दी गई थी और कौन सी स्थिति ऐसी होगी, जिसमें उन को आज्ञा नहीं दी जायेगी । एक कारण तो यह हो सकता है कि किसी सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट के बाद आर्थिक दशा खराब हो, वह रोटी के टुकड़ों के लिये मोहताज हो और सरकार उस को नौकरी दिला दे । यह तर्क किसी मतलब का नहीं है । इस प्रस्ताव के विरोध में इस तर्क को रखने से वह बात सिद्ध नहीं होती है ।

[श्री रामसेवक यादव]

जहां तक इस प्रस्ताव के समर्थन का सम्बन्ध है, मैं इन कारणों से चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो । आज हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है जिसे सत्तारूढ़ दल समाजवादी व्यवस्था कह सकता है । अभी पिछले प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया और समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें कीं । हमें डर लग रहा है कि समाजवाद का नक्शा जिस तरह से पेश किया जा रहा है और जिस तरह से समाजवाद बन रहा है, उस से ऐसी स्थिति बन रही है कि गरीब लोग समाजवाद का नाम सुन कर ही उस का विरोध करना शुरू कर देंगे इस वक्त पूरी पूंजीवादी व्यवस्था चलती है और जब पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है तो उस में सरकारी नौकरों को और विशेष तौर से क्लास १ के अफसरों को निजी नौकरियों में या पुनः सराकरी नौकरियों में आने की अगर सुविधा दी जाती है तो मैं समझता हूं कि जनतन्त्र को खतरा पैदा हुए बिना नहीं रह सकता है । इस से पक्षपात बढ़ेगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा । चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्रीय सरकार हो, इन लोगों को पुनः नौकरी में लेने या प्राइवेट नौकरी में जने की इजाजत देना एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिस में कि वे टकटकी लगाये हुए सरकार की तरफ देखते रहें और हमेशा ही उस को खुश करने की कोशिश करते रहें ताकि उन के रिटायर हो जाने के बाद वह उन को पुनः किसी काम पर लगा दें । ये लोग ऐसी अवस्था में पूंजीपतियों की ओर या मंत्रियों की ओर देखते रहते हैं और उन को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि उन को सेवा से निवृत्त होने के बाद कोई न कोई अच्छी नौकरी मिल जाये । वे किस तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं ? अगर कोई जज होता है तो उस के सामने कोई चनाव के मकदमे फैसला होने के लिये आते हैं और कभी कभी ट्रिब्यूनल भी चनाव के सस का फैसला करने के लिये बनाये जाते हैं, कभी कभी फंडामेंटल राट्स को या कुछ अधिकारों को तय करने के लिये उन के सामने चीज जांच पड़ताल के लिये जाती है, तो उन केसिस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वे संविधान का गला घोंट दें और ऐसा इसलिये कर दें कि सरकार उन से खुश हो जाये और उन के सेवा निवृत्त होने के बाद उन को कोई और अच्छी सी नौकरी दे दे ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो कि सेवा-निवृत्त होने के बाद लगे होंगे और उन की संख्या बहुत कम ही होगी । लेकिन सवाल यहां थोड़े से लोगों का नहीं है, यहां पर तो सवाल सारे लाट का है, पालिसी का है ?। नौकरी में पुनः कुछ ही लोग लिये जाते हैं लेकिन उस रास्ते की तरफ टकटकी लगाये हुए सभी देखते रहते हैं और पुनः नौकरी पाने के लिये वे ऐसे काम करते हैं जो अनुचित होते हैं । अपने ध्येय की पूर्ति के लिये ऐसे लोग सैंकड़ों और हजारों होते हैं जो कार्यालयों की गोपनीयता को नष्ट करते हैं, अन्दर की बातें दूसरों तक पहुंचाने लग जाते हैं जिस से जो पूंजीपति हैं या जो सरमायेदार हैं, लाभ उठाते हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह ५५ साल की उम्र रिटायरमेंट के लिये क्यों रखी गई है । इस का कारण यह है कि एक अमुक उम्र तक पहुंच जाने के बाद आप यह समझते हैं कि उस की कार्यकुशलता कम हो जाती है, वह काम नहीं कर सकता है । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि उस में कार्यकुशलता नहीं है इसलिए उसको रिटायर किया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसकी कार्यकुशलता बढ़ाई है, उसको अनुभव बढ़ गया है, इसलिए पुनः उसको जगह दी जा रही है । यह जो दोहरा तर्क है यह समझ में नहीं आता है । इस तरह का तर्क वितर्क ही हो सकता है ।

हमारे माननीय सदस्य श्री स० म०

बनर्जी साहब ने कहा कि जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक तर्क चलता है और जो बड़े अफसर हैं उनके लिए दूसरा ही तर्क चलता है। मैं चाहता हूं कि जो तर्क एक के लिए दिया जाए वह दूसरे के लिए भी दिया जाए और तर्क को वितर्क न बनाया जाए।

इस वास्ते यदि हम चाहते हैं कि पक्षपात न चले, भ्रष्टाचार न चले, भाई भतीजावाद न चले तो इस प्रस्ताव पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा। आज आप देखते हैं कि इनकम टैक्स वगैरह की चोरियां होती हैं। ये कैसे होती हैं? इस प्रकार की चोरियों की जानकारी इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी सरकारी अधिकारियों को अधिक होती है और वे अधिक जानते हैं कि किस तरह से चोरियां की जा सकती हैं। इस वास्ते जब किसी इनकम टैक्स के अधिकारी को रिटायर्ड होने के बाद किसी प्राइवेट फर्म में नौकर रख लिया जाता है तो वह हर प्रकार से इनकम टैक्स के मामले में उसकी मदद करता है।

आखिर यह ५५ साल की उम्र या ५८ या ६० साल की उम्र रिटायर होने की क्यों रखी गई है? क्यों कहा जाता है कि ५५ साल भी घिस चुकने के बाद उनकी कार्यकुशलता नष्ट हो जाती है और उसके बाद वे काम करने के काबिल नहीं रहते हैं? मैं चाहता हूं कि अगर सरकार समझती है कि वे उसके बाद किन्हीं कारणों से नौकरी के काबिल नहीं रह जाते हैं, तो उसको पुनः क्यों नौकरी में ले लिया जाता है या क्यों उनको निजी फर्मों में जा कर काम करने की छूट दी जाती है? क्यों उनके सामने इस तरह के अवसर उपस्थित किए जाते हैं कि वे टकटकी लगाये आपकी तरफ देखते रहे और आपको खुश करने में लगे रहें? या तो यह कहा जाए कि अनाज ज्यादा दिन तक रखने के बाद सड़ जाता है, चना ज्यादा दिन रखने के बाद सड़ जाता है लेकिन चावल एक ऐसी चीज है जो जितना पुराना हो जाएगा उतना ही अच्छा होता जाएगा और ये बड़े अधिकारी चावल की किस्म में आते हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो रिटायर होने के बाद इनको पुनः सर्विस में नहीं लिया जाना चाहिये।

५५ साल की उम्र तक कार्यकुशलता बनी रहती है, उसके बाद नहीं, जब इस सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं तो फिर आपको सोचना होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति क्यों इन बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ टकटकी लगाये देखते रहते हैं और इस ताक में रहते हैं कि कब ये रिटायर हो और इनको गोदी में बिठा लिया जाए, मुहब्बत से बिठा लिया जाए और इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाएं। आखिर इसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो अवश्य है। क्या वजह है कि जब उनका आराम करने का समय होता है और ऐसी हालत होती है कि उनको काम न कर आराम करना चाहिऐ, उनको नाजायज लाभ उठाने दिया जाता है जिसका असर जनतंत्र पर भी पड़ता है और देश में भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती और पक्षपात भी बढ़ता है।

यह एक सीधा सादा सा प्रस्ताव है जिसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये यह कहा जा सकता है कि बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित होंगे मैं कहना चाहता हूं कि अगर थोड़े से लोगों का ही सवाल है तो क्यों उन थोड़े से लोगों को भी इसकी छूट दीजाती है और क्यों इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। जिनका न्याय में, इंसाफ में, जनतन्त्र में विश्वास है और जो चाहते हैं कि पक्षपात, भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती न बढ़े और उस पर अंकुश लगे, उनका यह फर्ज है कि वे इसका समर्थन करें। समाजवाद का भी यह तकाजा है कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं इस प्रस्ताव पर एक दूसरी ही दृष्टि से विचार

[श्री रघुनाथ सिंह]

करता हूं । यह प्रस्ताव भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म के अनरूप है और मैं इसका समर्थन करता हूं । आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारा भारतीय वाङमय चार चीजों पर आधारित है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थआश्रम, बान-परस्थ और सन्यास आश्रम । इसी के आधार पर रोम के समय में, ग्रीक के समय में और आजकल भी रिटायरमेंट अर्थात अवसर प्राप्ति को एक लक्ष्य रखा गया है कि मनुष्य की जिन्दगी में वह अवस्था भी आती है जब उसको पूर्ण अनुभव प्राप्त हो जाता है और पूर्ण अनुभव प्राप्त होने के बाद उसकी शक्ति कुछ भी क्यों न हो, उसको बान-परस्थ व्यवस्था अर्थात अवसर ग्रहण कर लेना चाहिये ताकि उसके अनुभव से समाज कुछ लाभ उठा सके। मैं एग्जेम्पल दूं कि बौद्ध देश जितने हैं उनमें साक्षरता का परसेंटेज ८० है जबकि हिन्दुस्तान में या दूसरे और देशों में वह ८० तो क्या ४० भी नहीं है । वहां इतना अधिक परसेंटेज होने का क्या कारण है? बौद्ध देशों में एक सिस्टम है जिसको उन्होंने हिन्दुओं से, भारत-वासियों से लिया है । वह सिस्टम यह है कि ५० या ५५ वरस के ऊपर हर एक व्यक्ति के ऊपर यह लाजिमी है कि वह भिक्षु बने हां एक अपवाद इसमें दिया गया है और वह राजा के सम्बन्ध में किया गया है और कहा गया है कि राजा केवल तीन महीने के वास्ते भिक्षु हो सकता है । राजा के अलावा और जितने लोग हैं सब को अपने जीवन में भिक्षु होना पड़ेगा । बौद्ध देशों में जो आदमी भिक्षु होते हैं वे अपने गांव में बैठ जाते हैं, दुनिया को त्याग देते हैं और उनका यह काम होता है कि अपने गांव के बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें अपने अनुभव बतायें । इसी वास्ते आप देखें तो आपको पता चलेगा कि थाईलैंड में, बर्मा में कम्बोडिया में तथा बौद्ध जगत के देशों में एजूकेशन के लिए बजट छोटा होते हुए भी साक्षारता हम से अधिक है । इसका कारण यह है कि वे लोग जब रिटायर होते हैं तो उनकी एक मात्र भावना यह होती है कि वह जा कर समाज की सेवा करें।

इसी प्रकार से आप अंग्रेजों की एग्जेम्पल लें । वे भी रिटायर होने के बाद कुछ न कुछ इसी तरह के काम करते हैं । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । वे जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद कहीं पर भी काम करने के लिए आम तौर पर नहीं जाते हैं । एक एग्जेम्पल बम्बई के चीफ जस्टिस की मेरे पास है । उनका नाम बेमाटं है। वे जब रिटायर हुए तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट का काम जा करके उन्होंने इंग्लैंड में शरू किया। हमारे यहां कितने हाई कोर्ट के जज हैं जो सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद उनको जा कर बार एसोसियेशन में बैठ जाना चाहिए आनरेरी मैजिस्ट्रेट के तौर पर काम करना चाहिये, या जो यंग लायर्ज होते हैं, उनको अपने अनुभव से लाभ उठाने का मौका देना चाहिये । हिन्दुस्तान में आप कोई भी हाई कोर्ट का जज ऐसा नहीं देखेंगे जिसने रिटायर होने के बाद जा कर आनरेरी मैजिस्ट्रेट का काम किया हो । इसका कारण यह है कि हम इसको छोटा काम समझते हैं, हम समझते हैं कि हम बड़े अफसर हैं और इतनी लम्बी चौड़ी तनख्वाह पा कर क्या हम उसको जा कर कर सकते हैं ? यह जो मनोवृति है, इसको बदलना होगा और जब यह बदलेगी तभी समाज का सुधार हो सकेगा ।

भारत में लोकतंत्र की सब से बड़ी बड़ी आवश्यकता क्या है, इसकी रीढ़ क्या है, मेरूदंड क्या है । इसकी रीढ़ इसका मेरुदंड सामाजिक और सार्वजनिक संस्थायें हैं, हम से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनितिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता निकलते हैं । जिस दिन इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का लोप हो जाएगा, जिस दिन इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का लोप हो जायेगा, जिस दिन इन सार्वजनिक संस्थाओं में काम करने वालों का लोप हो जाएगा, उस दिन हिन्दुस्तान

में यह लोकतंत्र भी आप नहीं चला सकेंगे । आप देखिए कि वैस्टर्न डिमाक्रेसीज में क्या होता है, लोग क्या करते हैं रिटायर हो कर। कोई किसी अस्पताल में काम करने चला जाता है, कोई कहीं किसी स्कूल में काम करने चला जाता है, कोई चर्च में जाकर काम करते हैं। उसका फल यह है कि उनके अनुभव का लाभ उठाकर नई नई विभूतियां देश में पैदा होती हैं । वे उन नए पौधों में सिंचाई का काम करते हैं । वे अपने ज्ञान से उन नव अंकुरित पौधों को सींचते हैं । ये पौधे बड़े होकर देश हित के कामों में लगते हैं । इसीलिए मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुरूप है और इसको मानना चाहिए। मैलकोटे साहब ने और नरसिंहन साहब ने जो तर्क दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं कि रिटायर होने के बाद आदमी को काम करना चाहिए । अगर उसको रिटायर होने के बाद काम करना है तो उसको रिटायर ही क्यों किया जाए ।

18 hrs.

Shri C. R. Narasimhan: Please see the resolution as it is.

Shri Raghunath Singh: I am seeing it. I have read it. I think I know so much English.

Shri C. R. Narasimhan: See the wide scope of it. ,

श्री रघुनाथ सिंह : जब आदमी को रिटायर किया जाता है तो क्यों किया जाता है, उसका सिद्धान्त क्या है । उसको रिटायर करने का सिद्धान्त यह है कि इसमें अब आगे काम करने की शक्ति नहीं है लिहाजा दूसरे आदमी को उसका स्थान दिया जाए। इसी ख्याल से रिटायरमेंट की अवस्था ५५ साल रखी गयी है । मगर हमारे यहां ५५ की अवस्था के बाद भी अफसरों की तीन, चार पांच साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नया खून आना चाहिए, नौजवानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए , और दूसरी तरफ उनकी वृद्धि को इस तरह रोका जाता है ये दोनों बातें परसपर विरोधी हैं और इसी कारण हमारी तरक्की नहीं हो रही है ।

एक बात मैं और कहता हूं कि आज अवस्था यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारे लोग रुपये के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे यहां तो यह सिद्धान्त था और बौद्ध देशों में भी यह सिद्धान्त है कि वानप्रस्थ ग्रहण करने के पश्चात आदमी को भिक्षा पर गुजर करना चाहिए । उसी परिष्कृत अन्न से अपना पालन करना चाहिए, उसे कुधान्य या राज्य धान्य नहीं खाना चाहिए । जो इस प्रकार का भोजन करता है उसकी बुद्धि भी परिष्कृत होती है और तब वह देश के नौजवानों का मार्गदर्शन करते हैं । यही कारण है कि हिन्दुस्तान की संस्कृति, हिन्दुस्तान की सभ्यता आज तक जीवित है । मुसलमान जहां गये सारा देश समाप्त हो गया । लेकिन हिन्दुस्तान आज तक क्यों स्थिर है । हिन्दुस्तान इसी वास्ते स्थिर है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी सुन्दर थी, इतनी उत्तम थी और उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गयी हुई थीं । लेकिन बाद में हमारे देश में वह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी, बौद्ध देशों में कायम रही । इसलिए कोई भी बौद्ध देश, बर्मा को छोड़ कर जो ४०–५० साल पराधीन रहा, पराधीन नहीं हुआ । उसका कारण क्या है । उसका कारण यह है कि जो आदमी ५०वर्ष से अधिक का होता है वह समाज में जाता है, नगरों में जाता है, गांवों में जाता है और अपना सारा जीवन समाज के उत्थान के लिए और देश के उत्थान के लिए और गांवों के उत्थान के लिए लगा देता है । वह अपने अनुभव से दूसरे नौजवानों को लाभ पहुंचता है । इसी वास्ते आप देखेंगे कि सिवा बर्मा के, जो कि ४०–५० वर्ष पराधीन रहा, कोई बौद्ध देश पराधीन नहीं हुआ । लेकिन हिन्दुस्तान के लोग इस सिद्धान्त को भूल गए और हमारा पतन आरम्भ हो गया ।

Shri C. R. Narasimhan: How long are we sitting?

Mr. Chairman: If the hon. Member concludes, I will call the hon. Minister and then adjourn the House.

Shri Tangamani: The time fixed was 1¼ hours. The time may be extended.

Mr. Chairman: The time has already been extended, because we have already taken one hour and ten minutes. The Minister has to reply, and that will take another 30 minutes.

Shri Tangamani: Normally we have two hours for such resolutions, but today one hour and 15 minutes was fixed to enable Dr. K. B. Menon to move his resolution. But that is not possible now.

Shri C. R. Narasimhan: It may be adjourned to next week.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : आज इसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए।

Mr. Chairman: The hon. Member may conclude his speech.

श्री रघुनाथ सिंह : दूसरी बात हमें यह कहनी है कि हमें आर्मी का उदाहरण दिया गया । आप देखेंगे कि आर्मी में बहुत थोड़ी उम्र में रिटायरमेंट होता है । वह इसलिए किया जाता है कि आर्मी से प्रशिक्षित आदमी अपने गांवों में जाएं और खेती बाड़ी करें और उनके अनुभव से दुसरे लोग फायदा उठाएं । इसलिए मैं थोड़े में यही कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं और इस वास्ते समर्थन करता हूं कि मैं काशी का रहने वाला हूं और भारतीय आचरण, भारतीय नीति और भारतीय नैतिकता मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए बाध्य करती है । अगर हमें भारत में सचमुच में लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो हमें इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करना चाहिए ।

Mr. Chairman: The discussion may continue the next time.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTY-FIFTH REPORT

Shri Rane (Buldana): Sir, I beg to present the 65th Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Chairman: The House will now stand adjourned till 11 A.M. on Monday.

18.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the August 14, 1961/Sravana 23, 1883 (Saka)